



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
National Institute of Fashion Technology
NIFT Campus, Chheb, Kangra, Himachal Pradesh – 176001
निफ्ट कैंपस, छेब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176001
Phone No. 01892-260872-5, Fax No. 01892-263872
फोन नंबर 01892-260872-5, फैक्स नंबर 01892-263872

प्रशासन कार्यालय (फ़ोन: (01892) 260874
कमरा नंबर 02- (प्रशासन ब्लॉक)

इस दस्तावेज़ को डाउनलोड किया जाए, भरा जाए और प्रशासन कार्यालय में रखे गए निविदा बॉक्स में प्रस्तुत किया जाए।

निफ्ट कांगड़ा में

लड़कियों के छात्रावास

के विंग-डी में दुकान नंबर 01 और 02 में

पार्लर संचालित करने के लिए

रुचि अभिव्यक्ति

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

कांगड़ा

निविदा शुल्क 500 रुपये

सं.निफ्ट/कांगड़ा/पार्लर/2021

दिनांक: 19 फरवरी, 2021

ईओआई नोटिस संख्या

निफ्ट कांगड़ा में लड़कियों के छात्रावास के विंग-डी में दुकान नंबर 01 और 02 में पार्लर संचालित करने के लिए रुचि अभिव्यक्ति

1. भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1986 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना की गई थी जिसे फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के संवर्धन और विकास के लिए 2006 (निफ्ट अधिनियम 2006) में संसद अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट 17 केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करता है। यह डिजाइन और प्रौद्योगिकी में चार वर्ष के स्नातक-पूर्व (यूजी) कार्यक्रम, डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी में दो वर्ष के स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम और फैशन के क्षेत्र में छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पावधि शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का नई दिल्ली में अपना मुख्यालय है, जिसमें बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, रायबरेली, शिलांग और श्रीनगर स्थित अपने कैंपस हैं।
निफ्ट, कांगड़ा की स्थापना वर्ष 2009 में पांच स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ हुई थी।
2. संस्थान के पास पवन-डी लड़कियों के छात्रावास में दुकान कैंपस है ताकि इन दुकान परिसरों को इच्छुक पार्टी को आवंटित किया जा सके। कैंपस समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सैलून/पार्लर चलाने के लिए लाइसेंस पर लक्मे, जावेद हबीब्स, शहनाज, वीएलसीसी, सुगंध, एल ओरियल आदि जैसे ब्रांड के अधिकृत फ्रेंचाइजी/डीलर का मुख्य संचालक/मालिक को दुकानें आवंटित की जानी हैं। जिनके प्रतिष्ठान उपस्थिति बड़े शहरों, में होंगे उन्हें अतिरिक्त वरीयता ही जाएगी।
3. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कांगड़ा की ओर से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत ऐसे बैनरों/ब्रांडों की फ्रेंचाइजी से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत सीलबंद रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती हैं, जो कैंपस में उपर्युक्त स्थान में एक आउटलेट चलाने के लिए इच्छुक और जिनके पास ऐसे आउटलेट चलाने में पर्याप्त अनुभव, एक्सपोजर और क्षमता है।
4. ईओआई/विवरण युक्त निविदा दस्तावेज निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है:

- (i) संयुक्त निदेशक से 19 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक सभी कार्य दिवसों पर 09:00 बजे से 05:30 बजे तक और 15 मार्च 2021 को 09:00 बजे से 14:00 बजे के बीच

अथवा

- (ii) वेबसाइट <https://www.nift.ac.in/kangra/tenders> से डाउनलोड किया जा सकता है

5. निर्धारित आवेदन-पत्र, आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ होना चाहिए।

- (i) प्रशासन कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में 15 मार्च 2021 को 1400 बजे तक संयुक्त निदेशक को जमा किया जाए।

6. ईओआई को अंतिम तिथि (जमा करने की) अर्थात् 15 मार्च 2021 को खोली जाएगी। कमरा संख्या 02, संयुक्त निदेशक कार्यालय में 1600 बजे समिति से मिलना आवश्यक होगा। पार्टियों को प्रस्तुति के लिए (अपनी कंपनी/फर्म और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित सभी भौतिक प्रश्नों को संतुष्ट करने के लिए), साक्षात्कार और उसी दिन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए।

संस्थान का कोई भी कारण को बताए बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। दुकान आवंटित कैम्पस (जहां लागू हो) को भी संदर्भित करती है/शामिल है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कांगड़ा

संख या: निफ्ट/कांगड़ा/पार्लर/2021

दिनांक: 19 फरवरी, 2021

ईओआई के लिए दिशानिर्देश/अनुदेश

गुणवत्ता, सेवा और रखरखाव अपेक्षाएं

- 1) पार्लर प्रातः 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहना चाहिए। रविवार गैर कार्य दिवस नहीं हो सकता। सप्ताह के एक दिन दुकान बंद हो सकती है। वर्ष के अगले दिन: 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को दुकान बंद रखी जाएगी। अन्य जिन दिनों में दुकान बंद रखी जाएगी प्रशासन द्वारा अधिकृत किया जाना जाएगा।
- 2) यदि चयनित एल1 विक्रेता मर्चें बेचता है वहां मर्चों की गुणवत्ता में कोई करार नहीं होगा।
- 3) पार्लर में फर्नीचर अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए और ग्राहक के अनुकूल होना चाहिए। सभी आंतरिक साज-सज जा (अपेक्षित फर्नीचर सहित) पार्टी/विक्रेता/लाइसेंसि द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए।
- 4) कैंपस को अच्छी तरह से हवादार और अच्छी तरह से रोशनीदार होनी चाहिए।
- 5) कैंपस (पार्लर में और उसके आसपास) को साफ रखा जाना चाहिए। कैंपस के बाहर प्रदर्शन/अतिक्रमण की अनुमति नहीं है।
- 6) इयूटी के लिए रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी/मालिक को (i) नशे में नहीं होना चाहिए, (ii) अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, (iii) कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, (iv) साफ, और स्वच्छ होना चाहिए।
- 7) कर्मचारियों को कैंपस को निवास के रूप में उपयोग नहीं लाना चाहिए। अनुमोदित आधिकारिक समय से परे संस्थान का उपयोग केवल विशेष उद्देश्यों (जैसे माल, विघटन, माल-सुची आदि प्राप्त करना) के लिए होना चाहिए।
- 8) कर्मचारियों के किसी भी बदलाव के संबंध में अनुमति ली जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी करना चाहिए और पूछे जाने पर उन्हें सुरक्षा/संपत्ति कार्यालय के कर्मियों को पेश करना चाहिए।
- 9) कूड़ा और कचरा निस्तारण संस्थान के मानकों के अनुसार किया जाए।
- 10) कीट/कृंतक नियंत्रण नियमित रूप से किया जाना चाहिए।
- 11) प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित बीजक बनाया जाना चाहिए।
क्रेडिट, डेबिट और एटीएम कार्ड द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

- 12) दुकान (पार्लर) में मूल्य सूची और छूट के साथ समय, छुट्टियां, सेवाएं/उत्पाद, दुकान/सेवा में कर्मचारी आदि जैसे सभी प्रासंगिक विवरण प्रदर्शित करने चाहिए।
- 13) पुरानी/बासी/एक्सपायर्ड मदें(अर्थात एक्सपायरी डेट से परे) को दुकान में नहीं रखना चाहिए।
- 14) सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। अग्निशमन यंत्र (2 किलोग्राम और 4.5 किलोग्राम शुष्क प्रकार) सुलभ स्थानों में स्थापित किए जाने चाहिए और चालू स्थिति में होना चाहिए। आपातकालीन नंबर की सूची एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। आपात स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय उपलब्ध होने चाहिए।
- 15) निविदा/ईओआई करार (परिशिष्ट ट-1) में निर्धारित मूल्यों को संयुक्त निदेशक की अनुमति के बिना नहीं बदला जाना चाहिए।
- 16) जिस व्यक्ति को पार्लर की दुकान दी गई है /अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उसे प्रबंधित किया जाना चाहिए और उसे उप-पट्टा या उप-किराए पर नहीं देना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों की देखभाल में स्थापना नहीं छोड़नी चाहिए और ग्राहकों और सेवाओं की देखभाल के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
- 17) बिक्री के लिए सेवाओं/वस्तुओं के छोटे सेट वाली दुकानों में मूल्य सूची को बड़े फ्रॉन्ट में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अथवा मुद्रित मूल्य मेनू उपलब्ध होना चाहिए। मूल्य सूची में सभी वस्तुओं को ग्राहक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि स्टॉक से बाहर है तो वे (उचित समय के भीतर) की खरीद की जानी चाहिए और निफ्ट समुदाय के सदस्य को दिया जाए।
- 18) सक्षम कर्मचारियों को नियोजित किया जाएगा (जिन्हें एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है)। संयुक्त निदेशक का व्यवहार या प्रदर्शन के आधार पर किसी भी स्टाफ सदस्य को बदलने के लिए स्थापना को निर्देशित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 19) शिकायत/सुझाव पुस्तकों को बनाए रखना होगा और सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अनुबंध अवधि के दौरान पुस्तक में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
- 20) लाइसेंसधारक को माल की गुणवत्ता और कीमतों को बनाए रखना होगा।
- 21) किसी भी दुकान को बंद /नियमित कार्य दिवसों पर सेवा कम नहीं की जानी चाहिए है, उचित औचित्य के बिना (ऐसे विशेष दिन वर्ष में कुछ दिनों तक सीमित होने चाहिए)।
- 22) प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग अत्यधिक हतोत्साहित किया जाता है। कपड़े के बैग उपयोगकर्ताओं के लिए (मामूली शुल्क पर) उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कागज के बैग/प्लेट/कप/आदि के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्लास्टिक डिस्पोजेबल बर्तन/प्लेट/आदि का उपयोग अत्यधिक हतोत्साहित करता है। प्लास्टिक की थैलियों में चाय/कॉफी/आदि की सेवा की अनुमति नहीं है।
- 23) प्रदान की गई सेवाओं की सूची संलग्न की जानी चाहिए।
- 24) अंतरराष्ट्रीय और बहु-शहर उपस्थिति वाले प्रतिष्ठित ब्रांडों को पसंद किया जाएगा। आवेदक को भारत में प्रमुखता के स्थानों पर उक्त बैनरों में से किसी के अंतर्गत आउटलेट चलाने में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, जिसमें बिना किसी धब्बा या विवाद के ऐसे आउटलेट चलाने का अच्छा और सुसंगत

ट्रैक रिकॉर्ड हो।

- 25) आवेदक को ईओआई/निविदा आवेदन के साथ अपने अनुभव का पर्याप्त प्रमाण, ऐसे उद्यम चलाने की क्षमता, पात्रता मानदंडों को पूरा करने के संबंध में प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 26) हालांकि, दस्तावेज में दुकान का नंबर बताया गया है, लेकिन बाद की तारीख में इसे बदला जा सकता है और लाइसेंसधारक को नए स्थान पर शिफ्ट करने के लिए कहा जा सकता है और लाइसेंसधारक को आदेश के 15 दिनों के भीतर इसका पालन करना चाहिए। इस अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध ईओ के समक्ष रखा जा सकता है।
- 27) उद्धृत/सूचीबद्ध मूल्य में सभी करों और अधिभारों को शामिल किया जाना चाहिए (अर्थात् यह छूट सहित अंतिम मूल्य है जिसे ग्राहक को सेवा/उत्पाद का लाभ उठाने के लिए भुगतान करना पड़ता है)। यदि ऐसा नहीं है तो निविदा समिति वेंडर द्वारा भरे गए निविदा को अशक्त और शून्य (रद्द) समझ सकती है। छूट के बिना मूल्य सूची अतिरिक्त रूप से दी जानी चाहिए।

1.1.1. सरकारी अपेक्षाएं

- 1) पार्लर की लाइसेंस शुल्क वित्त तीय बोली के अनुसार होगी।
- 2) प्रतिष्ठान की प्रतिभूति जमा 50,000 रुपये है।
- 3) लागू जीएसटी के रूप में देय होगा।
- 4) प्रति दुकान के लिए सफाई शुल्क 500 रुपये प्रतिमाह।
- 5) निफ्ट कांगड़ा के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 25,000 रुपये की बयाना जमा राशि ईओआई के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालांकि, यदि उपरोक्त ईएमडी जमा नहीं की जाती है, तो ईओआई को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 6) पिछले वर्ष की लाइसेंस शुल्क में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी।
- 7) अनुबंध/पैनल की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष होगी, पहले तीन महीने परिवीक्षा के होंगे। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर पैनल को नौ महीने की शेष अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यदि सेवाएं पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और शर्तों पर संतोषजनक पाई जाती हैं, अर्थात् शिकायत मुक्त पाई जाती हैं तो पैनल को सालाना अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में, विशेष शर्तें दस्तावेज में अन् यत्र मिल सकती हैं।
- 8) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ईओ द्वारा दुकान का स्थान (शुल्क में उचित परिवर्तन के साथ) स्थानांतरित किया जा सकता है।
- 9) प्रपत्र के अनुसार नियोजित सभी कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 10) ईएसआई, ईपीएफ जैसे राष्ट्रीय श्रम कानून का पालन किया जाना चाहिए।
- 11) लाइसेंसधारक के पास पैन नंबर होना चाहिए और आयकर दाता होना चाहिए।

- 12) शहर में वर्तमान में संचालित दुकानों की वार्षिक सकल आय लगभग 2 लाख रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए (आयकर फॉर्म/आवेदक के नाम पर भुगतान किया जाना चाहिए और पिछले दो वर्षों की आयकर विवरणी ईओआई फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए)
- 13) लाइसेंसधारी को पार्लर सेवाओं से संबंधित अध्ययनों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए
- 14) लाइसेंसधारक के पास भारत सरकार के मानकों के अनुसार जीएसटी नंबर होना चाहिए। (यदि लागू हो)।
- 15) लाइसेंसधारक को संस्थान के साथ करार करना अनिवार्य होगा। करार के लिए अपेक्षित स्टॉप पेपर का खर्च लाइसेंसधारक वहन करेगा।
- 16) लाइसेंसधारक को सविदा की तारीख से एक सप्ताह के भीतर संस्थान के साथ 100 रुपये (एक सौ रुपये) के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर एक करार करना होगा ऐसा न होने पर संस्थान को प्रतिभूति जमा राशि जब्त करने और किसी अन्य लाइसेंसधारक को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी, जैसा उचित समझा जाए।
- 17) संस्थान केवल दुकान की जगह बिजली कनेक्शन के साथ उपलब्ध करवाएगी। आंतरिक साज-सज्जा, फर्नीचर, सेवा प्रदान करने के लिए अन्य पहलू/मदों आदि की व्यवस्था लाइसेंसधारक द्वारा की जानी चाहिए।
- 18) लाइसेंसधारक को अपने स्टाफ आदि के लिए सामग्री और आवास के सुरक्षित भंडारण के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। लाइसेंसधारी के किसी भी कर्मचारी को दुकान कैंपस में रहने की अनुमति नहीं होगी।
- 19) लाइसेंसधारक संस्थान की लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या उसके किसी भी लाभ या हित को समनुदेशित या सबलेट नहीं करेगा। सविदा का पूर्ण रूप से लाइसेंसधारक द्वारा निष्पादित किया जाएगा। वह नौकरों के कृत्यों, चूकों और अपेक्षाओं, या कारीगर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जैसे कि वे लाइसेंसधारी के कृत्य या चूक थे। इस तरह के अनुबंध के अंतर्गत किसी भी चूक या लापरवाही के मामले में प्रबंधन समिति निदेशक को लाइसेंसधारक के खिलाफ जुर्माना या जुर्माना लगाने का सुझाव दे सकती है
लगातार तीन चेतावनी जारी करने के बाद अनुबंध रद्द माना जाएगा और ठेकेदार को सात दिन के भीतर दुकान खाली करनी होगी।
- 20) लाइसेंसधारक को केवल उस कैंपस का उपयोग करना चाहिए जिसके लिए इसे संस्थान द्वारा आवंटित किया गया है। अन्य उद्देश्यों के लिए कैंपस के उपयोग से अनुबंध का निलंबन हो जाएगा।
- 21) लाइसेंसधारक को अनुमोदित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा जो संस्थान नीति के अनुसार बढ़ सकता है
- 22) लाइसेंसधारक को दुकान में लगाए गए मीटर के माध्यम से वास्तविक खपत के आधार पर निफ्ट

कांगड़ा कैंपस के बैंक खाते में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क और संस्थान की प्रचलित वाणिज्यिक दरों के अनुसार विद्युत शुल्क जमा करना होता है और उसके द्वारा दिए गए बिजली के बिल को प्रशासन में दिया जाए। यदि लाइसेंस शुल्क और बिजली का बिल निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो प्रशासनिक शुल्क 100 रुपये प्रति माह (संचयी) नियमानुसार लगाया जाएगा।

- 23) यदि लाइसेंसधारक समय सीमा के भीतर लाइसेंस शुल्क या अन्य देय राशि का भुगतान नहीं करता है, जैसा कि लाइसेंस में कहा गया है या अन्यथा समय-समय पर निर्धारित किया गया है या इसमें निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या स्वयं को इस तरीके से संचालित करता है, जो अनुज्ञप्तिदाता की राय में निफ्ट कांगड़ा कैंपस में रहने वाले या यात्रा करने वाले व्यक्तियों के साथ शांति और सामंजस्यपूर्ण संबंधों के रखरखाव के प्रतिकूल है तो इस संस्थान के, यह लाइसेंस बिना किसी भी सूचना के अनुज्ञप्तिदाता की मर्जी में रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 24) बेदखली: करार और शर्तों के इन लेखों के अर्थ और मंशा के मामले में इस करार के पक्षकारों के बीच उपजने वाले सभी विवादों/मतभेद को या तो किसी भी दावे के निपटान को जन्म दे रहा है या कार्यों से संबंधित नहीं है, आपसी करार द्वारा एकमात्र मध्यस्थ अर्थात् संस्थान के निदेशक को भेजा गया प्रस्तुतियां मध्यस्थता अधिनियम 1940 के अर्थ के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए समझा जाएगा।
- 25) संस्थान का बिना कोई कारण बताए किसी भी एक या सभी आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 26) पैनल/अनुबंध/करार को 30 दिन का नोटिस देकर किसी भी तरफ से समाप्त किया जाए। परिवीक्षा अवधि के दौरान पैनल/अनुबंध समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा केवल 07 दिनों की सूचना दी जानी आवश्यक है।
- 27) लाइसेंसधारक को बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निफ्ट कांगड़ा के पक्ष में तैयार की गई प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। जमा की गई प्रतिभूति जमा राशि पैनल की अवधि तक संस्थान के पास रहेगी और अनुबंध के सफल होने पर वापस कर दी जाएगी। सफल आवेदक की प्रतिभूति जमा राशि को एजेंसी की चोरी, इनकार या समाप्ति की स्थिति में वास्तविक शिकायतों पर परिसमापन हर्जाना के रूप में जब्त कर ली जाएगी।
- 28) आवेदक द्वारा विधिवत भरे गए निर्धारित आवेदन-पत्र 15 मार्च 2021 को 1400 बजे तक प्रशासन कार्यालय निविदा बॉक्स में जमा किए जाएं। निर्धारित तिथि और समय के बाद किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 29) निविदा उसी तारीख (जमा करने की) अर्थात् 15 मार्च 2021 को 1600 बजे कक्षा प्रशासन कार्यालय में खोले जाएंगे। पार्टियों को प्रस्तुति के लिए (अपनी कंपनी/फर्म और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित सभी भौतिक प्रश्नों को संतुष्ट करने के लिए), साक्षात्कार और उसी दिन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए समिति से मिलना आवश्यक होगा। इस संबंध में अलग से कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि वह साक्षात्कार के समय अनुपस्थित रहता है तो निविदाकार के आवेदन

पर पैनल/अनुबंध/ईओआई के लिए विचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। समिति द्वारा निविदा/ईओआई/पैनल देने का निर्णय लिया। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 30) लाइसेंसधारक को ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार उचित सुचारू सेवाएं प्रदान करनी होंगी।
- 31) लाइसेंसधारक को संस्थान के नियमों और विनियमों (समय-समय पर जारी किए गए किसी भी संशोधन के साथ) का पालन करना होगा।
- 32) लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में कैंपस निवासियों को कोई भी समान खो जाने की जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी। संस्थान को इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और वह किसी भी कानूनी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा।
- 33) लाइसेंसधारक क्षेत्राधिकार के अनुसार नगर निगम प्राधिकरणों/राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा।
- 34) लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों को अपनी स्थापना पर लागू कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और अन्य हितलाभों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा। उसके लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
- 35) अनुज्ञप्तिदाता की पूर्व लिखित अनुमति के अलावा, जिस के लिए यह दिया गया है, उसके अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित उक्त दुकान/कैंपस का उपयोग करने या परमिट का उपयोग नहीं करेगा।
- 36) निविदा करार के अनुसार निर्धारित सभी वस्तुओं को हर समय उपलब्ध कराया जाए। किसी भी परिवर्तन के लिए अनुमति संयुक्त निदेशक/निदेशक से प्राप्त की जानी चाहिए।
- 37) कार्य-क्षेत्र निफ्ट कांगड़ा कैंपस तक ही सीमित रहेगा।
- 38) लाइसेंसधारक की किसी भी समय उक्त कैंपस या उसके आसपास की भूमि में अधिकार या रुचि नहीं होगी, सिवाय जिस प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी ने जिसके लिए उपयोग करने के लिए दिया है।
- 39) लाइसेंसधारक उक्त दुकान पर या कैंपस के अन्य स्थानों पर खड़े या बनाए गए पेड़ों, पौधों, झाड़ियों हेजेज, लॉन और फूलों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- 40) लाइसेंसधारक इस संबंध में अनुज्ञप्तिदाता की विशिष्ट लिखित अनुमति के बिना उक्त दुकान/कैंपस या उसमें फिटिंग या विद्युत प्रतिष्ठानों के साथ किसी भी तरह का कोई जोड़ या परिवर्तन नहीं करेगा और न ही बिजली या जलापूर्ति लाइनों में कोई अनधिकृत निर्माण या विस्तार करेगा।
- 41) लाइसेंसधारक अनुज्ञप्तिदाता की लिखित अनुमति के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को करार से उपजे किसी भी अधिकार को स्थानांतरित या सतनुदेशित नहीं करेगा।
- 42) लाइसेंसधारक करार के निष्पादन के समय इस लाइसेंस के अंतर्गत उक्त दुकान/कैंपस में उपलब्ध से अधिक सुविधाओं का लाभ उठाने या किसी और सुविधाओं का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

- 43) लाइसेंसधारक अनुज्ञप्तिदाता की लिखित अनुमति के बिना आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजनों (जिनके लिए अनुमति दी गई है के अलावा किसी अन्य मद को बेचने सहित) के लिए कैंपस का उपयोग नहीं करेगा। लाइसेंसधारक हमेशा दुकान का उपयोग विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक इस तरीके से करेगा जैसे कि यह उसके अपने हैं।
- 44) इस करार के प्रावधानों के बावजूद, करार के लिए किसी भी पक्ष को कोई भी कारण बताए बिना दोनों पक्ष को, लिखित में, एक कैलेंडर महीने का पूर्व नोटिस देकर, लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 45) लाइसेंस के निरसन और निर्धारण पर, जैसा कि इसके द्वारा प्रदान किया गया है, लाइसेंसधारक परिसर को खाली कर देगा और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैंपस /दुकान का सामान्य और उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी स्थिति में खाली कब्जा देगा, जैसा कि अब हैं।
- 46) अनुबंध करार की शर्तों या उसके द्वारा उस पर निर्णय की व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, निदेशक का निर्णय सभी प्रकार से बाध्यकारी और अंतिम होगा और किसी भी अदालत में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा।
- 47) शॉपिंग कैंपस का पूरा क्षेत्र पूरी तरह से निदेशक, निफ्ट, कांगड़ा के विवेक पर होगा। लाइसेंसधारक को बिना कोई भी कारण बताए, किसी भी दुकान के अनुमेय कैंपस बढ़ाने या कम करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 48) यहां उल्लिखित किसी भी कारण के लिए लाइसेंस के निरसन पर, लाइसेंसधारक को उक्त दुकान के अनन्य और पूर्ण कब्जे को, जैसा उचित समझे, पुनः दर्ज करने और ग्रहण करने और इसके साथ इस तरह से निपटने और कैंपस में छोड़े गए सामान को नीलाम करने अथवा जब्त करने, बेचने का अधिकार होगा। लाइसेंसधारक इस तरह की बिक्री की प्रक्रिया में से, लाइसेंसधारक को देय किसी भी राशि को समायोजित करने के हक होगा।
- 49) लाइसेंसधारक का प्रतिनिधित्व निदेशक और/या ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर इसके निदेशक द्वारा निर्णय लिया या प्राधिकृत किया गया हो।
- 50) मूल लाइसेंस करार लाइसेंसधारक के पास रहेगा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी हस्ताक्षरित सहित लाइसेंसधारी के पास रहेगी।
- 51) इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंसधारी की मृत्यु सहित किसी भी कारण से लाइसेंस रद्द करने की स्थिति में लाइसेंसधारी के उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के पास लाइसेंस प्राप्त परिसरों के कब्जे में बने रहने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा और वे तत्काल खाली करने/बेदखल करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- 52) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पाद, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003 के विज्ञापन और विनियमन के प्रावधानों के अनुसार किसी भी उत्पाद को कैंपस से नहीं बेचा जाएगा जिसे किसी शैक्षिक संस्थान के कैंपस के भीतर बेचा जाना प्रतिबंधित है।

- 53) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर या लाइसेंस की अवधि निलंबित करने पर, लाइसेंसधारक को इस तरह की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर दुकान/कैंपस का कब्जा वापस करना होता है, जहां तक संभव हो, उसी स्थिति में, जैसा कि लाइसेंसधारक द्वारा कब्जा लिया गया था।
- 54) आवंटित कैंपस/दुकान को अधिनियम की धारा 2 (ई) (2) (iv) के आधार पर सार्वजनिक कैंपस (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- 55) संस्थान द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कब्जा न देने और दंडात्मक हर्जाना देने में विफलता के मामले में, अनधिकृत कब्जाधारी के खिलाफ सार्वजनिक कैंपस (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत क्षति आदि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- 56) संस्थान के निफ्ट अधिनियम के अंतर्गत अपने आबंटन नियम हैं जिन्हें समय-समय पर विधिवत संशोधन किया जाता है उक्त नियमों में निहित निबंध और शर्तें भी लाइसेंस दस्तावेज का अभिन्न अंग होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि लाइसेंस के वर्तमान साधन और कैंपस नियमों के आबंटन के बीच किसी विसंगति के मामले में, लाइसेंस के वर्तमान साधन की शर्तें प्रबल होंगी।
- 57) ऐसे मामले में, जिसमें इस अनुबंध के किसी खंड के अंतर्गत, ठेकेदार ने अपने पूरे सुरक्षा जमा की राशि का मुआवजा देने के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं ठहराया होगा, निदेशक के पास निम्नलिखित कार्रवाई करके की शक्ति होगी जैसा कि वह संस्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ ठ समझे। अनुबंध को रद्द करने के लिए (जिसमें से निर्णय, सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस, निर्णायक साक्ष्य होगा) जिस स्थिति में ठेकेदार की सुरक्षा प्रतिभूति जमा राशि जब्त हो जाएगी और पूरी तरह से संस्थान के निपटान में होगी। इसके अलावा, सुरक्षा राशि से अधिक किसी भी राशि की वसूली के लिए, संस्थान को इस तरह के कानूनी सहारा को अपना देने की स्वतंत्रता होगी, जैसा यह उचित समझे।
- 58) लगाए गए किसी भी जुर्माना का भुगतान नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए और इसका अनुपालन न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
- 59) सविदा देने पर पार्टी/ठेकेदार/विक्रेता को 15 दिनों के भीतर स्वीकृति (एक करार पर हस्ताक्षर करके) देनी चाहिए। उपर्युक्त अवधि के किसी भी विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए और निफ्ट का इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित है।
- 60) निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए (यदि ईओआई ऐसे किसी भी दस्तावेज (जहां भी लागू हो) के साथ नहीं हैं, तो आवेदक अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा):
- आयकर पंजीकरण प्रमाणपत्र/पैन संख्या
 - फर्म/कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र।
 - जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र/नंबर यदि कोई हो। ईपीएफ
 - अन्य सांविधिक पंजीकरण/लाइसेंस, यदि कोई हो।
 - बैंक शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।

- परिशिष्ट ट-क में ईओआई जमा करने वाली फर्म का विवरण।
- भारत में कुल आउटलेट और पांच महानगरों के नाम पर जहां ऐसे आउटलेट सफलतापूर्वक चल रहे हैं।
- पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए सकल कारोबार और लाभ (2018-19 और 2019-20 से) और लेखापरीक्षित तुलनपत्र और संबंधित वर्षों के लिए लाभ और हानि खातों को संलग्न किया जाना चाहिए।
- ईओआई जमा करने वाली फर्म की ओर से ईओआई बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्राधिकरण/संकल्प।
- ईएमडी के लिए 25 हजार रुपये (केवल पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट
- पार्टियों को उपरोक्त दस्तावेजों (बैंक ड्राफ्ट के अलावा) की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
- इस ईओआई दस्तावेज के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं।

सामान्य सूचना और शर्तें

निम्नलिखित एक ही विक्रेता/पार्टी द्वारा संचालित किया जाएगा।

- स्थान-1 विंग -डी में दुकान नंबर 01 और 02. कुल क्षेत्रफल 215 वर्ग फुट. दुकान का विशेष रूप से महिलाओं पार्लर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- स्थान-2 में दुकान/आधार का संचालन तब शुरू होना चाहिए जब आधार तैयार हो जाए और चयनित विक्रेता/पार्टी को कंपस सौंपने के बाद ही लाइसेंस शुल्क व अन्य शुल्क वसूला जाएगा।
- ईओआई की अवधि करार की तारीख से 01 वर्ष की हैं (दस्तावेज में सूचीबद्ध अन्य निबंधन और शर्तों के साथ) जिसे 02 वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता हैं। इसलिए, स्थान-2 में दुकान के लिए ईओआई की अवधि भी ईओआई की अवधि तक सीमित होगी (अर्थात ईओआई पर हस्ताक्षर करने की तारीख से कुल 3 वर्ष की अवधि संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर दो वर्ष और बढ़ा दी जा सकती है
- यदि पार्टी किसी प्रतिष्ठित ब्रांड की अधिकृत फ्रेंचाइजी है तो पार्टी को निफ्ट आउटलेट्स के संचालन की पूरी अवधि के दौरान इस तरह के अधिकार रखे रहना चाहिए। यदि पार्टी फ्रेंचाइजी (दिए गए ब्रांड के) नहीं रहता तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और आउटलेट्स के लिए नए ईओआई/निविदा शुरू की जाएगी। पार्टी को ब्रांड के सभी मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए और विशेष रूप से वर्तमान ईओआई करार में सभी दुकानों के लिए एक ही ब्रांड के बैनर तले काम करना चाहिए।

महिला ब्यूटी पार्लर से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताएं

1. प्रत्येक ग्राहक के लिए स्वच्छ और ताजा एप्रन, तौलिए का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. उपकरणों को गर्म उबलते पानी या कीटाणुनाशक में जीवाणुहीन करना।
3. मानक और प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पादों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन उत्पादों से त्वचा पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।
4. दुकान में गर्मियों के लिए एयर कूलर/एयर कंडीशनर होना चाहिए और सर्दियों में पर्याप्त हीटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। मच्छर और कीट नियंत्रण किया जाना चाहिए।
5. ग्राहक सेवा के लिए सर्दियों के मौसम में गर्म पानी का उपयोग किया जाना है।
6. ग्राहकों की सेवा में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण बिना किसी दाग आदि के साफ-सुथरे रखे जाएंगे।
7. सैलून प्रक्रियाओं के दौरान धारदार वस्तुओं के माध्यम से ग्राहकों को चोट से बचने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। आपात स्थिति के लिए डेंटल और प्राथमिक चिकित्सा के उपाय उपलब्ध होने चाहिए।
8. सैलून स्टाइलिस्ट बाल काटने से लेकर खोपड़ी उपचार तक विभिन्न सौंदर्य सेवाएं करते हैं। विशिष्ट कार्यों में शैम्पू करना, कटिंग और स्टाइलिंग बाल शामिल हैं, हालांकि वे बाल उपचार भी प्रदान कर सकते हैं, जिसमें गहरी कंडीशनिंग, स्थायी, बालों का रंग और बुनाई शामिल है। अधिकांश सैलून में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संख्या के कारण, स्टाइलिस्ट को सौंदर्य उत्पादों और उपकरणों की एक विस्तृत कार्यो का उपयोग करने में कुशल होना चाहिए।
9. नियोजित कर्मियों को एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान (जैसे जावेद हबीब, वीएलसीसी, शेनाज हुसैन आदि) में कम से कम 03 महीने तक प्रशिक्षण होना चाहिए और इसके लिए प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
10. सैलून स्टाइलिस्ट बालों की लंबाई, प्रकार और बनावट की एक किस्म के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। कुशल स्टाइलिस्ट बालों या खोपड़ी की समस्याओं को पहचानने और उचित उपचार की सिफारिश करने में सक्षम हैं। स्टाइलिस्ट द्वारा प्रदान की जा सकने वाली अन्य सुविधाएं हैं:
11. मैनीक्योर, पेडीक्योर, वैक्सिंग, मसाज, फेशियल, मेकअप एप्लिकेशन
12. शहनाज हुसैन/हबीब के हर्बल/समकक्ष प्रतिष्ठित उत्पादों को केवल शामिल किया जाना है।
13. सेवाओं के दौरान स्वच्छता बनाए रखनी है।
14. विशिष्ट महिला पार्लर के मामले में केवल महिला मालिक और कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी।
15. सभी आंतरिक साज-सज जा (फर्नीचर), एयर कंडीशनिंग विक्रेता/पार्टी द्वारा लगाए जाएंगे।
16. महिलाओं के ब्यूटी पार्लर के दरें निम्नलिखित लिए परिशिष्ट ट-1 में दी गई हैं। यह ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम कीमत है और इसमें सभी कर और सेवा शुल्क शामिल

हैं।

परिशिष्ट ट-1

महिलाओं के लिए मूल्य-सूची

सेवा का नाम	उद्धृत मूल्य (रूपए)	मद का नाम	उद्धृत मूल्य (रूपए)
थ्रेडिंग		वैक्सिंग	
माथा	15	अंडरआर्म	50
ऊपरी होंठ	10	पूरा हाथ	1 50
ठुड्डी	10	आधा पैर	150
भौंह	15	पूरा पैर	250
कटिंग		चॉकलेट वैक्सिंग	
ट्रिमिंग	80	अंडरआर्म	65
यू-शेप	80	पूरा हाथ	200
लेजर कटिंग	250	आधा पैर	180
थ्री स्टेप	250	पूरा पैर	500
लेजर कटिंग	250	रिका वैक्सिंग	
स्टेप के साथ लेजर	250	अंडरआर्म	75
चेहरे और त्वचा की देखभाल		पूरा हाथ	300
फ्रुट फेशियल	450	आधा पैर	250
पर्ल फेशियल	600	पूरा पैर	500
पपीता फेशियल	400	ब लीचिंग	
डायमंड फेशियल	1 200	बैक स्क्रब	200
गोल्ड फेशियल	1000	ऑक्सी ब्लीच	250
सिल्वर फेशियल	600	फ्रूट ब्लीच	150
ओ + फेशियल	750	गोल्ड ब्लीच	250
शहनाज फेशियल	750	पूरा हाथ ब्लीच	350
वीएलसीसी फेशियल	600	आधा पैर ब्लीच	350
फेस पीलिंग	600	मेनीक योर	
स्किन लाइटिंग	800	फ्रेंच	500
क्लीनअप		मून	1500
शहनाज	400	पैराफिन	1000
लोटस	300	हॉटस्टोन	1000
वीएलसीसी	300	कृत्रिम नाखून	700

नियमित	200	नियमित	150
पेडिक योर		हैंड स्पा	550
फ्रेंच	600	हेयर ट्रीटमेंट	
मून	1800	डैंड्रफ कंट्रोल ट्रीटमेंट	1100
पैराफिन	1000	हेयर स्पा	900
हॉटस्टोन	1100	बालों को रंग करना	900
अमेरिकी	700	नैनोमैक्स हेयर ट्रीटमेंट	1500
कृत्रिम नाखून	500	केराटिन हेयर ट्रीटमेंट	2000
नियमित	200		

- मैं अपनी अन्य दुकानों/प्रतिष्ठानों की दरों की तुलना में % छूट देने पर सहमत हूँ।
- यदि विक्रेता की यह पहली दुकान/प्रतिष्ठान है तो निम्नलिखित भरा जाएं: मैं इसी तरह के आउटलेट/दुकानों/प्रतिष्ठानों की बाजार दरों की तुलना में % छूट देने पर सहमत हूँ।
- सभी सेवाओं/उत्पादों/बिक्री पर न्यूनतम 15% छूट दी जानी चाहिए।
- उपरोक्त सभी नियम और शर्तें मेरे द्वारा स्वीकार की गई हैं।

यहां फोटो चिपकाएं

निविदाकार/पार्टी के हस्ताक्षर:

निविदाकार/पार्टी का नाम:

पूरा पता:

पिन कोड संख्या

मोबाइल संख्या

अन्य लैंडलाइन या मोबाइल नं

ईमेल आईडी

निविदाकार को अपना स्थायी आवासीय प्रमाण संलग्न करना होगा, ऐसा न होने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा

तकनीकी बोली

1.	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता का नाम	
3.	पूरा पता, संपर्क नम्बर और ईमेल आईडी	
4.	जन्म तिथि	
5.	अर्हता	
6.	पैन संख्या	
7.	जीएसटी नम्बर	
8.	ईपीएफ नम्बर	
9.	पंजीकरण संख्या	
10.	ईएमडी जमा (विक्रेता द्वारा जमा किया जाएं)	राशि
		डीडी संख्या
		दिनांक
		बैंक/शाखा
11.	अनुभव (यदि कोई हो, वर्ष में)	
12.	टर्नओवर 2018-19	
13.	टर्नओवर 2019-20	
14.	कार्यरत त कर्मचारियों की सूची (अतिरिक्त शीट संलग्न करें)	

टिप पणी: ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट सहित आवश्यक सभी दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग लिफाफे में होनी चाहिए और दोनों आवरण तीसरे आवरण के अंदर होना चाहिए। सभी दस्तावेज निविदा बॉक्स में एक साथ जमा किए जाएं।

यह कि यदि उक्त कैंपस को कोई नुकसान होता है तो मैं सभी खर्चों को वहन करूंगा

यह कि जब भी कोई नोटिस दिया जाएगा तो मैं दुकान को खाली कर दूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम और पूरा पता
संपर्क नंबर और ईमेल आईडी के साथ

वित्तीय बोली

विवरण	राशि रुपए में
लाइसेंस शुल्क प्रति माह दिया जाएगा	

जीएसटी को यथालागू लाइसेंस शुल्क के अलावा भुगतान किया जाएगा।

एच1 का लाइसेंस शुल्क निर्णय उद्धृत के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी: वित्तीय बोली अलग लिफाफे में होनी चाहिए।